न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्याः— 2021/172

1. बद्री पुत्र गोकुल,
2. श्रवण पु गोकुल,
3. सीता पुत्री गोकुल,
4. श्रीमती भूरी पत्नि छोटू,
5. सोभाग पुत्र छोटू,
6. दीपचंद पुत्र छोटू,
7. रेखा पुत्री छोटू,
8. राधा पुत्री छोटू,

समस्त जाति तैली, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र गोकुल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— प्रेम देवी पत्नि स्व0 रामदेव,
   1/2— भैरूलाल पुत्र स्व0 रामदेव,
   1/3— महावरी पुत्र स्व0 रामदेव,
   समस्त जाति तैली, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर
   1/4— माया देवी पुत्री स्व0 रामदेव पत्नि भागचंद, जाति तैली, निवासी ग्राम कचोलिया, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

<u>नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 28.7.2021 अंतर्गत अपील संख्या 421/2016.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री रूपक शर्मा, वकील प्रार्थीगण ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 12.10.2021

1. प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 421/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश किया है ।
2. <u>प्रार्थीगण/वादीगण</u> द्वारा एक राजस्व वाद अधी0न्याया0 के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 92—2, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत <u>अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण</u> के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1245 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1249 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1260 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1290

रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1298 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1301 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1426 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1593 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1276 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1279 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1514 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 1282/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1306/1741 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम मनोहरपुरा में स्थित है । वाद में पारिवारिक सजरा दर्शाते हुए वाद वाद को डिक्री करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 को वादीगण/प्रार्थीगण का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/रामदेव ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28.7.2021 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । न्यायालय हाजा के इस निर्णय से अंसतुष्टत होकर प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के पिता रामदेव द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 421/2016 पेश की गई । उक्त अपील को दर्ज कर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 जरिये पैरोकार उपस्थित हुए । दौराने अपील अपीलांट रामदेव पुत्र गोकुल का देहांत दिनांक 7.3.2019 को हो चुका था किन्तु मृतक अपीलांट के कायम मुकाम को पत्रावली पर लिये बिना ही अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त तथ्य को छिपाते हुए प्रस्तुत अपील को अंतिम रूप से बहस कर दी जिस पर न्यायालय हाजा ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपना निर्णय दिनांक 28.7.2021 को पारित कर दिया जो कि प्रथम दृष्टया ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील अबेट हो चुकी थी और अबेट अपील को बिना अबेटमेंट सेटेसाईट किये ही गुणावगुण पर निर्णत कर न्यायालय हाजा ने विधिक त्रुटि कारित की है । प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 जरिये अभिभाषक उपस्थित हो चुके थे और अपील में विधिवत् पैरवी कर रहे थे किन्तु अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना सुने उनके वकील की उपस्थिति में अपना निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाता तो इस बात की स्पष्ट जानकारी होती कि मृतक रामदेव व प्रार्थीगण के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष आपसी राजीनामा हुआ था जिसकी साक्ष्य विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं पर मृतक रामदेव के हस्ताक्षर से होती है । न्यायालय हाजा ने उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर निर्णय दिनांक 28.7.2021 को पारित किया जो निरस्तनीय है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2021 को निरस्त किया जावे तथा मूल अपील को पुनः गुणावगुण पर सुनने के लिए आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस में अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होने की दिनांक अंकित नहीं की थी जिससे अप्रार्थीगण अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर

सके थे । न्यायालय हाजा ने अप्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । जहां तक अप्रार्थी रामदेव की मृत्यु दौराने अपील होने से उसके विधिक वारिसान को पत्रावली पर नहीं लिये जाने का प्रश्न है यह तथ्य पुनरावलोकन याचिका का विषय नहीं है । यह भी कथन किया कि आक्षेपित आदेश मृतक के पक्ष में हुआ है जिससे भी नजरसानी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय में क्या त्रुटि कारित की गई है प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे । अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1993 पेज 459, आर0आर0डी0 1977 पेज 155, नजरसानी टी0ए0 2015/501 नत्थूराम बनाम गुरजन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 4.2.2016 की प्रतियां पेश की।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 421/2016 बउनवान रामदेव बनाम बद्री व अन्य में निर्णय दिनांक 28.7.2021 को पारित कर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। न्यायालय हाजा के इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण बद्री व अन्य ने नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि दौराने अपील अपीलांट रामदेव पुत्र गोकुल का देहांत दिनांक 7.3.2019 को हो चुका था किन्तु मृतक रामदेव के कायम मुकाम को पत्रावली लिये बिना ही अपीलांट के अभिभाषक ने प्रकरण में अंतिम रूप से बहस कर दी जिस पर न्यायालय हाजा ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपना निर्णय दिनांक 28.7.2021 को पारित कर दिया जो कि प्रथम दृष्टया ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । नजसानी प्रार्थना पत्र के साथ नजरसानीकर्ता ने अपीलांट रामदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र 26.3.2019 की प्रति पेश की है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट रामदेव की मृत्यु दिनांक 7.3.2019 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते हुई है । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.7.2021 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा नजरसानी टी0ए0संख्या 501/2015/हनुमानगढ़ बउनवान नत्थूराम बनाम गुरजन्टसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 4.2.2016 का ससम्मान अवलोकन किया । उक्त निर्णय में मान0 मण्डल ने यह माना है कि " नजरसानी याचिका एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है । नजरसानी याचिका तथ्यों के पुनरावलोकन का Instrument नहीं है, ना ही पुनः निर्णय लेखन किये जाने का Instrument है । जहां तक जेसाराम की मृत्यु हो जाने व उसके वारिसानों को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने का प्रश्न है तो यह तथ्य पुनरावलोकन याचिका का विषय नहीं है । " हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट रामदेव की मृत्यु की सूचना न्यायालय हाजा के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं दी गई थी । न्यायालय हाजा के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय अपीलांट के पक्ष में किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है जिससे उसके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है । अपीलांट रामदेव की मृत्यु हो जाने और उसके कायम मुकाम को पक्षकार नहीं

बनाना एक तथ्यात्मक प्रश्न है और नजरसानी याचिका के तहत न्यायालय तथ्यों पर पुनः विचार नहीं कर सकती है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में क्या विधिक त्रुटि रही है, अथवा निर्णय पारित करते समय किसी दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय हाजा ने अवलोकन नहीं किया हो अथवा कोई लिपिकीय त्रुटि रही हो, दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं किया है । ऐसी स्थिति में नजरसानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्रहणार्थ स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

7. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर